न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 252/2016

1 मदनलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 सुभाष दत्तक पुत्र दाराराम जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 सुलतान सिंह पुत्र श्री जीवणराम जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। (मृतक)
1/1 दिलीप सिह पुत्र सलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/2 विक्रम सिंह पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/3 सत्यवीर पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/4 राजकुमार पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/5 अशोक कुमार पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/6 बलराम पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/7 संजय यादव पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/8 श्रीमती पतासी पत्नी सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1/9 सुरेश पुत्री सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/10 सुमन पुत्री सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/11 अनिल पुत्र सुलतान सिंह जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। मृतक
1/11/1 भविष्य यादव पुत्र अनिल जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/11/2 शिला पत्नी अनिल जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/11/3 तन्वी पुत्री अनिल जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। नाबालिग जरिये माता शिला पत्नी अनिल।
2 महाकोरी पत्नी मालीराम
3 रामजीलाल पुत्र मालीराम
4 बबलू उर्फ बबूलाल पुत्र मालीराम
5 चन्द्रप्रकाश पुत्र मालीराम
6 मनोज पुत्र मालीराम
7 कमल पुत्र मालीराम
8 विधा पुत्री मालीराम
9 चंपा पुत्री मालीराम
10 मुगिंरी पुत्री मालीराम जाति समस्त माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
11 मनकोरी पत्नी जयराम
12 ओमप्रकाश दत्तक पुत्र जयराम
13 निमली पत्नी देवाराम
14 सुरेश कुमार पुत्र देवाराम
15 राजेन्द्र पुत्र देवाराम
16 लीलाराम पुत्र देवाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

17 ओमप्रकाश चौपदार पुत्र प्रहलादराम जाति समस्त माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016
प्रकरण संख्या 83/2010 व 160/2010 शीर्षक
सुलतान बनाम दाराराम बनाम राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना राजस्व
लोक अदालत कैम्प कोर्ट सिंघाना

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2010 व 160/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद बेदखली बाबत भूमि खसरा नम्बर 227, 228, 229 वाके ग्राम बनवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का वाद पत्र डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेनट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय में धारा 183 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 17 ने दिनांक 10.07.2003 को वादी कि भूमि खसरा नम्बर 228, 227, 229 में से 7 मीटर चोड़ी व 120 मीटर लम्बी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी दिनांक 23.06.2006 को पत्थरगढी करने से मना कर दिया गया। उक्त दावा के लिए वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय में दिनांक 17.07.2006 को वाद पत्र प्रस्तुत किया है , जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अगर अपीलान्ट, वादी की भूमि पर दिनांक 10.07.2003 को 120 मीटर लम्बी भूमि पर कब्जा करते तो वह तीन साल बाद में दावा नहीं करता, दूसरा वादी ने इस वाद पत्र में यह भी बताया है कि दिनांक 23.06.2006 को पत्थरगढ़ी करने से मना कर दिया जबकि अपीलान्ट के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई नपती नहीं की गई। इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने गलत रूप से यह दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पुराने खसरा नम्बर 932 जिसके नये खसरा नम्बर 300 व इसके हाल खसरा नम्बर 369 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि के बने है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सीमा के बाहर होते हुए कटान का उक्त रास्ता जाता है, जैसा कि वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने भी अपने वाद पत्र कि धारा 3 में इस बात को स्वीकार किया है कि पहले रास्ता है व रास्ते के बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 369 (300) है। उक्त रास्ते को नक्शा किस्तवार संवत 1963 में अपीलान्ट के खेत जिसके पुराने खसरा नम्बर 932 के बाहर से दर्शाया गया है परन्तु सैटलमेंट के दौराने सन 1979–80 में नक्शा किस्तवार में उक्त रास्ते को अपीलान्ट के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.34 की सीमा के अन्दर से दर्शा दिया गया, जिसको दुरूस्त करवाने के लिए अपीलान्ट ने वाद संख्या 160/10 प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त गलत नक्शा का फायदा उठाकर, जिसको अपीलान्ट के खेत के भीतर से रास्ता दर्शा दिया है, अपने आप की भूमि को अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण बताकर धारा 183 का दावा प्रस्तुत किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 160/10 को भी इसके साथ निस्तारण करके उसे खारिज कर दिया। वाद संख्या 160/2010 में दानाराम के दत्तक पुत्र सुभाष को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य व रिकार्ड के एकपक्षीय वाद पत्र डिक्री किया है। वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने वाद पत्र कि धारा 4 में सिंघाना के पूर्व सरपंच महावीर प्रसाद द्वारा दिनांक 10.03.2003 को वादी के खेत खसरा नम्बर 229, 228, 227 के अंदर से 12 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया और सात मीटर भूमि प्रतिवादी के खेत सहारे छोड़ दी, जिस पर सरपंच के खिलाफ दावा भी करना बताया है, जो दावा कानूनी प्रक्रिया के अभाव में खारिज होना भी बताया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने महावीर सरपंच के विरूद्ध वाद कारण बताया है, फिर भी अपीलान्ट के खिलाफ यह दावा किया है। विचारण न्यायालय ने उक्त सभी कानूनी बिन्दूओं को नजर अंदाज कर वादी का वाद पत्र डिक्री करने की कानूनी भुल की है। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां एक वाद पत्र 139/03 बाबत पत्थरगढ़ी करवाने व दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमं वादी के अपने खसरा नम्बर 369 गत खसरा नम्बर 300 के पश्चिमी ओर उत्तर से दक्षिण कटान का रास्ता बताया है जो वादीगण अपीलान्टस के खेत के पश्चिमी में सदैव में स्थित है और इस रास्ते के पश्चिमी की ओर प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि है। उक्त कटान का रास्ता गत नक्शा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किश्तवार सन् 1936–37 व संवत 1993 में भी दर्शाया गया है और नक्शा हाल सन 1979–80 में दौराने सैटलमेंट उक्त कटान का रास्ता वादीगण के खेत के अन्दर की और दर्शा दिया है और उक्त रास्ते में मोड़ दे दिया गया है और प्रतिवादी नम्बर 1 अर्थात रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए वादीगण अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी गरवाना चाहते है। उक्त वाद को दिनांक 20.08.2004 को स्वीकार किया गया था, अगर अपीलान्ट वादीगण, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की भूमि दिनांक 10.07.2003 को कोई कब्जा करते तो उक्त वाद के समय ही वह अपने जवाब दावे में इस बात का खुलासा कर सकता था कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की भूमि पर कब्जा कर लिया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने जवाब दावे में कब्जे की कोई आपत्ति नहीं की है, इस प्रकार इस प्रकरण के निस्तारण के लिए वाद संख्या 139/03 महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको विचारण न्यायालय ने नजदअंदाज कर अपीलान्ट का वाद पत्र 160/10 खारिज करने की कानूनी भूल की है। इसमें वाद पत्र के अनुसार कोई तनकी भी कायम नहीं की गई। अपीलान्ट को उक्त वाद को डिक्री करने का कोई ज्ञान नहीं था परन्तु मुकदमा नम्बर 83/10 की कैवियट प्रस्तुत होने पर इसका ज्ञान हुआ। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 17 उपस्थित नहीं होने से इनको औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है, इनका हित अपीलान्टस के साथ ही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008(1) पेज 151, आरआरटी 2024(1) पेज 225, आरआरटी 2024(1) पेज 267, आरआरटी 2024(1) पेज 67 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के संदर्भ में दो वाद लंबित थे। प्रथम वाद सुलतान सिंह बनाम दाराराम दावा संख्या 83/2010 एवं दूसरा वाद 160/2010 दाराराम बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

राज. सरकार लंबित था। विचाराधीन निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने दावा संख्या 160/2010 को खारिज किया है एवं दावा संख्या 83/2010 को डिक्री किया है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में दोनों दावों के निर्णयों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत नहीं करने से अपीलांट की अपील पोषणीयता के आधार पर खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट मदनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 दाताराम के दत्तक पुत्र की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 28.03.2016 को कायम मुकाम पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संसोधित टाइटल प्राप्त किया गया है। दिनांक 09.05.2016 की आदेशिका में कांट–छांट की गई है। आगामी तिथि 08.07.2016 को पत्रावली पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किए बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प सिंघाना में रखकर बहस सुनना अंकित कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। राजस्व लोक अदालत कैम्प में राजीनामे की पत्रावलियां रखी जाती है। प्रस्तुत प्रकरण कन्टस्टेड है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की सुनवाई के उपरांत प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)